न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 39/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हलका भाखरपुरा		श्री वसना, दजा, मोहन पि. छगना, लिछमणा, हाजा, गणपत, पि. मोबता जाति राजपुत सा. खारवा तहसील गुडामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राज्स्व अधिनियम 1956

दिनांक 28.08.17

उपस्थित :— 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी श्री दजा उपस्थित शेष अनुपस्थित

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण ने सरहद मौजा खारवा सरकारी भूमि ख.नं. 491/81 कुल रकबा 49.01 किस्म गै. मु. गोचर में से 12.08 बीघा भूमि पर बाड व कच्चा मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया हैं, अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर आया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

नियत तारीख पेशी दिनांक 28.08.17 को प्रार्थी पटवारी हलका उपस्थित तथा अप्रार्थी दजा उपस्थित, अप्रार्थी ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश न[illegible] चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया, अतः अप्रार्थी की शहादत बन्द की जाती [illegible] शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थीगण को बेदखल करने , निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निवेदन किया तथा दंडित करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाता हैं तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त भूमि पर मकान इत्यादि निर्माण कार्य को ध्वस्त करने यानि गिराने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान 17.86 रूपये का बीस गुणा 357 अक्षरे रूपये तीन सौ सतावन शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 28.08.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 12:08:58 IST
Reason: SelfAttested